कार्यालय संयुक्त संचालक सह् अस्पताल अधीक्षक

स्व. बिसाहू दास मंहत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध

चिकित्सालय कोरबा

वाहन स्टैंड संचालन कार्य हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र क्रमांक –

वर्ष 2024–25

जारी दिनांक– 11.01.2025

जमा दिनांक– 01.02.2025

निविदा प्रपत्र मूल्य 500/– रूपये

2.1.2025

कार्यालय संयुक्त संचालक सह् अस्पताल अधीक्षक

स्व. बिसाहू दास मंहत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा
जिला–कोरबा(छ.ग.)

क्र./जीएमसी कोरबा/निविदा/2024–25 46 कोरबा, दिनांक 9/1/25

वर्ष 2024–25 हेतु वाहन स्टैंड संचालन कार्य हेतु निविदा

निविदा कार्य	स्व. बिसाहू दास मंहत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा में वर्ष 2024–25 हेतु वाहन स्टैंड संचालन कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है।
निविदा प्रपत्र मूल्य	रू. 500.00(रू.पाच सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से देय होगा।
निविदा फार्म जारी दिनांक	11.01.2025 से कार्यालयीन समय पर
निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि	31.01.2025 सायं 5.00 बजे तक
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	01.02.2025 दोपहर 3.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ कोरियर के माध्यम से
निविदा फार्म खोले जाने की तिथि	01.02.2025 दोपहर 4.00 बजे तक
निविदा अमानत राशि	रू. 100000.00 (रू. एक लाख मात्र) का केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से देय होगा।

निविदा प्रपत्र जिले के स्थानीय वेबसाइट Sbdmscm.edu.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार इच्छुक निविदादाता से निविदा आमंत्रित किया जाता है।

9/1/25

संयुक्त संचालक सह् अस्पताल अधीक्षक
शास. चिकि. महा. संबद्ध चिकित्सालय
कोरबा (छ.ग.)

2.1.2025

नियम व शर्ते

1. वाहन स्टैंड शुल्क (24 घण्टे के लिए) (प्रातः 08 बजे से दूसरे दिन प्रातः 08 बजे तक) निम्नानुसार होगाः–

क. प्रति सायकल	–	**रू. 5.00**
ख. प्रति मोटरसायकल	–	**रू. 10.00**
ग. प्रति तीन पहिया वाहन/ऑटो	–	**रू. 15.00**
घ. प्रति चार पहिया वाहन	–	**रू. 20.00**

समयावधि से अधिक होने पर स्टैण्ड शुल्क अतिरिक्त 24 घण्टे का देय होगा। अस्पताल में ऑटो, प्राइवेट एम्बुलेंस व अन्य कोई भी वाहन से ड्रॉप कर तत्काल प्रस्थान करने पर पार्किंग शुल्क अदा नहीं किया जावेगा।

2. निविदा की प्रक्रिया दो चरणों में संपादित किया जावेगा। प्रथम चरण तकनीकी बीड तथा द्वितीय चरण प्राईज बीड । निविदा प्रपत्र पृथक–पृथक लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना होगा, और दोनो लिफाफा एक बड़े लिफाफा में भरकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/ पी. एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर से कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. चिकित्सालय परिसर में वाहन स्टैंड संचालन कार्य की ठेका अवधि निविदा सफल होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता होने पर क्रय समिति के निर्णय उपरांत अवधि बढ़ाई जा सकती है।
4. निविदादाता का ID Proof एवं Address Proof होना अनिवार्य है।
5. फर्म का जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अंतिम 01 वर्ष की रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (संस्थान के सील मोहर सहित) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जी.एस.टी. में छूट की स्थिति में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
6. वित्तीय वर्ष 2023–24 का इनकम टेक्स रिटर्न प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। (ऑनलाईन प्रमाण कॉपी मान्य)
7. वाहन स्टैंड संचालन कार्य में अनुभव होने पर वरीयता कम में प्राथमिकता दी जायेगी।
8. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ निविदा अमानत की राशि रू. 1,00,000.00 (रू. एक लाख रूपये मात्र) का एफडीआर
9. **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से जमा करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता को चिकित्सालय परिसर में वाहन स्टैंड शुल्क का बोर्ड एवं ध्वनि प्रदूषण निषेध का बोर्ड तैयार कर लगाना अनिवार्य होगा व स्टैंड शुल्क लेने उपरान्त संबंधितों को रसीद काटकर देना अनिवार्य होगा। शुल्क हेतु छपाये गये रसीद में रसीद संख्या होना अनिवार्य होगा।
11. निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जावेगी।
12. निविदा का **न्यूनतम शासकीय दर राशि रू. 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये मात्र)** से प्रांरभ होगी।
13. निविदा स्वीकृति होने पर निविदा दर राशि को 12 माह से विभाजित कर समतुल्य किराया राशि प्रतिमाह अग्रिम के रूप में जमा करना होगा ।
14. निविदा स्वीकृति पश्चात् कार्य ना करने पर निविदादाता द्वारा जमा की गई राशि राजसात कर ली जाएगी।

14. निविदा स्वीकृति पश्चात् कार्य ना करने पर निविदादाता द्वारा जमा की गई राशि राजसात कर ली जाएगी।
15. वाहन स्टैंड का मासिक किराया निविदा राशि का समानुपातिक भाग होगा जिसे प्रतिमाह दिनांक 01 से 05 तारीख के भीतर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिमाह किराया जमा नहीं करने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना दिये ठेका निरस्त माना जायेगा। एवं निविदादाता द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। आगामी 5 वर्षों के लिए ब्लेक लिस्टेड की सूची में डाला जाएगा।
16. वाहन स्टैंड में रखे वाहनों की देख–रेख की जवाबदारी ठेकेदार पर 24X7 घण्टे के लिए होगी साथ–साथ वाहन स्टैंड में रखे वाहनों जैसें – चार पहिए वाहन, मोटर सायकल या सायकल को निर्धारित स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से रखने के साथ–साथ वाहनों की देख–रेख की पूर्ण जवाबदारी स्टैंड ठेकेदार की रहेगी।
17. अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मेडिकल कॉलेज के छात्र/छात्राओं के वाहन पार्किंग निःशुल्क होगी, एवं इनके वाहनों की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। यथा संभव अधिकारी कर्मचारियों को वाहनों में स्टीकर लगाए जाने की व्यवस्था करेंगे। स्टॉफ को मांगे जाने पर फ्री पास देना होगा।
18. दिव्यांग लोगो के लिए वाहन पर्किंग निःशुल्क होगी।
19. स्टैंड से किसी भी प्रकार के वाहन या सायकल चोरी या टूट–फूट होने की स्थिति में वाहन मालिक के पास वाहन पार्किंग की रसीद के साथ आर.सी. बुक, जीवित इंश्योरेन्स एवं वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है एवं क्षतिपूर्ति की राशि इंश्योरेन्स क्लेम द्वारा प्राप्त राशि एवं उक्त वाहन की तात्कालिक बाजार मूल्य (इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा निर्धारित) के अंतर की राशि ही ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी ।
20. स्टैंड संचालन में कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में कार्य नहीं कर सकता। नशे की हालत में पाये जाने पर ठेकेदार द्वारा तत्काल उस कर्मचारी को कार्य से बाहर करते हुए उसके स्थान पर नया कर्मचारी लगाना होगा। कर्मचारी को पहचान पत्र (I/D) रखना होगा।
21. चिकित्सालय में आने वाले कोई भी जनसाधारण व मरीज के परिजनों से स्टैंड में कार्यरत कर्मचारी या स्वयं ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद एवं दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा चिकित्सालय परिसर में शालीनतापूर्वक व्यवहार रखा जाना होगा। विवाद एवं दुर्व्यवहार करते पाये जाने पर तत्काल उस कर्मचारी का कार्य से बाहर करना होगा।
22. ऐसे व्यक्ति जो विवादित हो जिन पर पुलिस केस मुकदमा चल रहा हो उसे वाहन स्टैंड संचालन संबंधित कार्य में रखना वर्जित है। अतः ठेकेदार को कर्मचारी रखने से पूर्व पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर एवं पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद कार्य पर रखना होगा।
23. किसी भी समय वाहन स्टैंड में असमाजिक तत्व एवं ऐसी हरकत पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा।
24. चिकित्सालय परिसर में एम्बुलेंस को छोड़कर आटो, एवं अन्य भारी वाहनों का बिना अनुमति प्रवेश एवं पार्किंग वर्जित है किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
25. अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताए निविदा/ठेका निरस्त कर सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

9.1.2025

26. निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में चिकित्सालय प्रबंधन का निर्णय सर्वमान्य होगा।
27. फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो का राशि रू. 50 के स्टाम्प पर शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
28. फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में राशि रू. 50 के स्टाम्प पर शपथ–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
29. निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, राशि रू. 100 के स्टाम्प पर शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
30. निविदा की कार्यवाही स्तर अथवा निविदा आदेश को अधोहस्ताक्षरकर्ता बिना कारण बताए 15 दिवस पूर्व सूचना के पश्चात् निरस्त की जा सकती है।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
शास. चिकि. महा. संबद्ध चिकित्सालय
कोरबा (छ.ग.)

तकनीकी बीड लिफाफा (लिफाफा –01) में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा।

फर्म का नाम : ....

....

S.No.	Prequalification Term & Conditions	Yes/no
01	निविदा महाविद्यालय के वेबसाईट से अपलोड किये जाने पर निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा शुल्क 500.00 (पांच सौ रू. मात्र) **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से डी.डी निविदा के तकनिकी दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
02	सायकल स्टैण्ड के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से राशि रू. 100000/– (रू. एक लाख मात्र) अमानत राशि के रूप में डी.डी **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। यह अमानत राशि सफल निविदाकार को रोक कर, शेश को 15 दिवस में वापस लौटा दिया जावेगा।	
03	निविदादाता का आई.डी Proof एवं Address Proof की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
04	फर्म का जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अंतिम 01 वर्ष की रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (संस्थान के सील मोहर सहित) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जी.एस.टी. में छूट की स्थिति में संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।	
05	वित्तीय वर्ष 2023–24 का इनकम टेक्स रिटर्न प्रमाण पत्र ।	
06	फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो का राशि रू. 50 के स्टाम्प पर शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
07	फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में राशि रू. 50 के स्टाम्प पर शपथ–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
08	निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, राशि रू. 100 के स्टाम्प पर शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	

<u>प्राईस बीड लिफाफा (लिफाफा–02) में फर्म के लेटर पैड में निम्नानुसार प्रारूप में दर प्रस्तुत करना होगा</u>

क.	विवरण	न्यूनमत शासकीय बोली (वार्षिक)	निविदा दर वार्षिक
1	स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय कोरबा में वाहन स्टैण्ड संचालन कार्य	रू. 500000.00 (पांच लाख रू.)	

निविदादाता फर्म के हस्ताक्षर सील सहित